

राजस्थान सरकार
कार्यालय महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-एजी/संस्था/कैडर स्ट्रेन्थ/2024-25/

दिनांक:-

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण) पत्रांक प. 07(7)राज/वाद/2021 जयपुर दिनांक 16.10.2024 के द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय में दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में मंत्रालयिक सेवा के स्वीकृत पदों के पुर्नगठन कर संशोधित कैडर स्ट्रेन्थ की सहमति प्रदान की गयी हैं। जिसके क्रम में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.06.2022 के अतिक्रमण में महाधिवक्ता राजस्थान के अधीनस्थ कॉलम संख्या 2 में वर्णित कार्यालयों में दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में कॉलम सं० 3 से 7 में वर्णितानुसार स्वीकृत पदों के स्थान पर दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में कॉलम सं० 8 से 12 में वर्णितानुसार पुनर्गठन कर संशोधित कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार एतद्वारा स्वीकृत की जाती हैं:-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में स्वीकृत पदों की संख्या					दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में पुनर्गठन कर संशोधित कैडर स्ट्रेन्थ /पदों की संख्या				
		कनिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक	सहा० प्रशा० अधि०	अति० प्रशा० अधि०	प्रशा० अधि०	कनिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक	सहा० प्रशा० अधि०	अति० प्रशा० अधि०	प्रशा० अधि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	महाधिवक्ता कार्यालय जयपुर	9	5	3	1	—	7	6	3	1	1
2	महाधिवक्ता कार्यालय जोधपुर	6	2	2	1	—	5	3	2	1	—
3	महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
योग		16	7	5	2	—	13	9	5	2	1

उक्त स्वीकृती वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. सं० 332401337 दिनांक 09.10.2024 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार जारी की जाती हैं।

- 52 -

महाधिवक्ता

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-एजी/संस्था/कैडर स्ट्रेन्थ/2024-25/485।

दिनांक:- 23/10/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार राज० जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजकीय वादकरण शासन सचिवालय जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-5) विभाग।
5. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
- ✓ 6. प्रोग्रामर महाधिवक्ता कार्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित पत्रावली।



कार्यालयध्यक्ष एवं अति० महाधिवक्ता,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-एजी/संस्था/कैडर स्ट्रेन्थ/2024-25/

दिनांक:-

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण) पत्रांक प. 07(7)राज/वाद/2021 जयपुर दिनांक 16.10.2024 के द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय में दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में निजी सचिव संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुर्नगठन कर संशोधित कैडर स्ट्रेन्थ की सहमति प्रदान की गयी हैं। जिसके क्रम मे इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.09.2021 के अतिक्रमण में महाधिवक्ता राजस्थान के अधीनस्थ कॉलम संख्या 2 में वर्णित कार्यालयों में दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में कॉलम सं0 3 से 7 में वर्णितानुसार स्वीकृत पदों के स्थान पर दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में कॉलम सं0 8 से 12 में वर्णितानुसार पुनर्गठन कर संशोधित कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार एतद्वारा स्वीकृत की जाती हैं:-

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में स्वीकृत पदों की संख्या					दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में पुनर्गठन कर संशोधित कैडर स्ट्रेन्थ /पदों की संख्या				
		निजी सहायक ग्रेड- II	निजी सहायक ग्रेड- I	अति0 निजी सचिव	निजी सचिव	व. निजी सचिव	निजी सहायक ग्रेड- II	निजी सहायक ग्रेड- I	अति0 निजी सचिव	निजी सचिव	व. निजी सचिव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	महाधिवक्ता कार्यालय जयपुर	2	2	1	1	-	3	3	1	1	-
2	महाधिवक्ता कार्यालय जोधपुर	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-
3	महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग		4	3	2	1	-	4	4	1	1	-

उक्त स्वीकृती वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. सं0 332401337 दिनांक 09.10. 2024 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार जारी की जाती हैं।

- ५४ -

महाधिवक्ता

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-एजी/संस्था/कैडर स्ट्रेन्थ/2024-25/ ५४५९

दिनांक:- 23/10/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार राज0 जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजकीय वादकरण शासन सचिवालय जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-5) विभाग।
5. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
6. प्रोग्रामर महाधिवक्ता कार्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित पत्रावली।



कार्यालयध्यक्ष एवं अति0 महाधिवक्ता,
राजस्थान, जयपुर।